न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—रूक्मणि रियार सिहाग, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्याः—04 / 2022

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ़

——स्टेट

बनाम

विनोद नागपाल पुत्र इन्द्रजीत सिंह जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 23 भभूतासिद्ध कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़।

——गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थितः—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।
2. गैरसायल जरिये वकील श्री राजेश गौड़।

निर्णय दिनांकः—01.11.2023

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन द्वारा मार्फत पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल विनोद नागपाल पुत्र इन्द्रजीत सिंह जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 23 भभूतासिद्ध कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है। गैरसायल सट्टा की खाईवाली करने का आदी है, जो सट्टे की खाईवाली करने में सक्रिय है। गैरसायल सट्टे की खाईवाली कर आम जनता को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। यह सट्टे खाईवाली की आपराधिक गतिविधियां में काफी सक्रिय है। कस्बा हनुमानगढ़ टाउन के लोग इससे काफी भयभीत रहते है इसकी शिकायत करने से लोग डरते हैं। गैरसायल की कस्बा में आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध निम्न 4 अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिनमें सभी अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	मु. नं. मय दिनांक	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1.	40/21-01-2021	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
2.	691/05-11-2020	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
3.	87/15-02-2021	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
4.	146/17-03-2021	13 आरपीजीओ	चालान	सजा

गैरसायल की आपराधिक गतिविधिया के कारण आम जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा है जिसका समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में गैरसायल की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल विनोद नागपाल पुत्र इन्द्रजीत सिंह जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 23 भभूतासिद्ध कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल दिनांक 07.04.2022 को जरिये वकील श्री राजेश गोड़ उपस्थित।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

गैरसायल आज दिनांक 01.11.2023 को जरिये वकील उपस्थित होकर इस्तगासा में वर्णित जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल जरिये वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा मेरे विरूद्ध यह

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

इस्तागासा दायर किया गया है जिसमें उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता है। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित है एवं स्वेच्छा से जुर्म को स्वीकार करता कर प्रकरण कका निस्तारण करवा रहा हुँ। मैं उक्त इस्तगासा में वर्णित जुर्म के सम्बन्ध में कोई जवाब व साक्ष्य आदि पेश नहीं करना चाहता। मुझे माफ करें, आगे से ऐसा कोई भी अवैध कार्य नहीं करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। गैरसायल को माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के सभी मुकदमों में दोष सिद्ध होने के तथ्य को स्वीकार करने पर सजायाब किया गया है। इस प्रकार उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(V) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिभाषा में कवर होता है किन्तु जिला या क्षेत्र से बाहर किये जाने हेतु राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3(क) की शर्त के साथ 3(ख) में वणित शर्तो का भी होना जरूरी है अर्थात व्यक्ति के गुण्डा होने के साथ–साथ यह भी जरूरी है कि वह विनिर्दिष्ट अपराध/कृत्य को करने में निरन्तर रत रहे तथा उसके द्वारा की जा रही गतिविधियों से किसी व्यक्ति या सम्पति को खतरा या नुकसान होने की सम्भावना हो।

इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है की गैरसायल के विरूद्ध 4 मुकदमें दर्ज हुए हैं। सभी मुकदमो में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। थानाधिकारी हनुमानगढ़ टाउन द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा के साथ संलग्न रोजनामचा के अनुसार दिनांक 29.09.2021 को यह रपट दर्ज की गई है कि गैरसायल राकेश कुमार पुत्र चन्द्रपाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन जो थाना इलाका क्षैत्र में मोहल्ले वासीयों ने अपनी दबी आवाज में बताया एवं पता चला की नागपाल पुत्र इन्द्रजीत बदमाश प्रवृती के है जो भोले–भाले लोगों को धमाकर गलत काम करवाते है मोहल्लावासीयों इन दोनों लड़कों से भयभीत है और कोई भी मोहल्ले का व्यक्ति इन दोनों के खिलाफ सामने आकर रिपोर्ट नहीं देना चाहता है। गैरसायल आपराधिक प्रवृती का लडका है आम शोहरत सही नहीं है, का ऐसे कृत्य में अभ्यस्त होना निश्चित ही जन सामान्य में परेशानी एवं खतरे का सूचक है।

गैरसायल को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिया गया है किन्तु गैरसायल द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर सायल पक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया जा सके। प्रकरण को देखते हुए गैरसायल इस प्रकार के आपराधिक कृत्य को भविष्य में नहीं करेगा, इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। मामले की परिस्थितियों के आधार पर गैरसायल के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित आरोप प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित आधार है, गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होते है।

अतः गैरसायल विनोद नागपाल पुत्र इन्द्रजीत सिंह जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 23 भभूतासिद्ध कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 22 दिवस की अवधि तक जिले से बाहर चले जाने हेतु आदेश दिये जाते है। गैरसायल दिनांक 02.11.2023 को सांय पांच बजे थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन को सूचित करते हुए हनुमानगढ़ जिले की सीमा से बाहर चला जावे तथा गैरसायल निष्कासन अवधि में जिस जिले के स्थान पर निवास करेगा उस स्थान के थानाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर सूचित करेगा। निष्कासन अवधि समाप्ति पर सम्बन्धित थानाधिकारी को अवगत करवाकर हनुमानगढ जिले में प्रवेश करेगा तथा वापसी पर थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ टाउन को सूचित करेगा। सम्बन्धित थानाधिकारी गैरसायल की दैनिक गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखेगा। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन को पालनार्थ हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 01.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग) आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official